न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-328 RAAJodhpur2023-168RTA223 Surendra Vs Bhomaram etc

सुरेन्द्र पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट, निवासी- रड़ोद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट

1. ब

न

म

01. भोमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट, निवासी- रड़ोद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 01/2022 सुरेन्द बनाम भोमाराम जाट

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट
श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, श्री करणसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 03 मार्च 2025

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 01/2022 सुरेन्द्र बनाम भोमाराम जाट के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 अगस्त 2023 को पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या एक के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम रड़ोद में खसरा नं. 1144 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नं. 929 रकबा 10.19 बीघा, खसरा नं. 1288/1 रकबा 05.07 बीघा खसरा नं. 1054/4 रकबा 03.18 बीघा कुल रकबा 30.09 बीघा भूमि पर प्रतिवादी भोमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाट निवासी- रड़ोद की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में सें वादी सुरेन्द्र पुत्र भोमाराम निवासी- रड़ोद जरिये वली माता श्रीमती कबूड़ी पत्नी श्री भोमाराम ने प्रतिवादी संख्या एक के साथ 1/2-1/2 हिस्सा पुश्तैनी भूमि में खातेदारी अधिकार घोषित करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। साक्षी वादी ने पीडब्ल्यू-1 सुरेन्द्र जरिये माता कबूड़ी के ब्यान लेखबद्ध किये गये, तत्पश्चात साक्ष्य वादी बंद कर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान पत्रावली लोक अदालत केम्प रड़ोद में प्रस्तुत हुई जहां पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 जारी कर वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 29.10.2021 के जरिये अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर मामला विहित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित मामले में सुनवाई करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट अपने पिता के जीवन काल में उनके विरुद्ध विभाजन का वाद नहीं ला सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की मॉ ने प्राकृतिक संरक्षक के रूप में वाद प्रस्तुत किया है, जबकि नाबालिग पुत्र-पुत्री का प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट अपनी माता के साथ वादग्रस्त आराजी में निवास नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 114 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नं. 929 रकबा 10.19 बीघा, खसरा नं. 1288/1 रकबा 05.07 बीघा, खसरा नं. 1054/1 रकबा 03.18 बीघा पूर्व में अपीलांट के दादा आईदानराम पुत्र खीयाराम की खातेदारी की भूमि दर्ज रहने से कानूनन वादग्रस्त आराजी में अपीलांट पुश्तैनी खातेदारी अधिकार जन्म से निहित है। अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा द्वारा अपील संख्या 89/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के जरिये मामला अधीनस्थ न्यायालय को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देशों की पालना में विहित प्रक्रिया के तहत मामले में तनकीयात कायम कर पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति के समुचित अवसर प्रदान किये गये, किंतु मामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित कर उन्हें निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि पिता के जीवनकाल में पुत्र वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं करवा सकता है।

विधिनुसार पुश्तैनी भूमि में पुत्र का जन्म से ही हक व अधिकार सृजित हो जाता है। हिंदु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार एक व्यक्ति अपने पिता के जीवन काल में पिता संम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकता है, किंतु अपना हिस्सा विभाजन नहीं करवा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा तक स्वीकार योग्य था।

वस्तुतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री हिंदु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत एवं वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना विधि की मंशा के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2022 अनवान सुरेन्द्र बनाम भोमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए विधिक प्रावधानों के तहत मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे। तब रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से बाबत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर